न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 442/2016

1. प्रेमकुमार
2. केसुराम

} पुत्रान जयचन्द जाति जाट निवासी 2 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. नेतराम पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी 2 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 11.06.2018

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सख्या 1 के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीयान का रकबा चक 2 के तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13/13 मुरब्बा नम्बर 41 में स्थित है जमाबन्दी की नकल शामिल है इसके अलावा मुरब्बा नम्बर 42 में भी रकबा है प्रार्थीयान नें मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 20 में ढ़ाणी बना रखी है तथा मुरब्बा नम्बर 41, 42 को काश्त करते आ रहे है।

मुरब्बा नम्बर 41, 42 में जानें के लिये रास्ता ना होनें के कारण कालान्तर में प्रार्थीयान के पिता स्व. जयचन्द द्वारा मुरब्बा नम्बर 49 के मालिक लाधुराम जो कि अप्रार्थी संख्या 1 का पिता था से दिनांक 23.12.1978 को अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 20 में से 4 बिस्वा लाधुराम को देकर उससे तबादला में उसके मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16 का एक एक बिस्वा कुल 4 बिस्वा प्राप्त कर रास्ता चालू किया गया इसी प्रकार लाधुराम से मुरब्बा नम्बर 49 का किला नम्बर 25 का 1 बिस्वा पूर्ण तरफ एक बिस्वा दक्षिणी तरफ तबादला दिनांक 23.12.1978 से उसको मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 20 के 2 बिस्वा देकर प्राप्त किया गया दोनो तबादले जो कि रजिस्टर्ड है की नकले शामिल है इस प्रकार प्रार्थीयान के पिता स्व. जयचन्द मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 के पूर्व हिस्सा में एक एक बिस्वा तथा किला नम्बर 25 के दक्षिणी भाग में एक बिस्वा कुल 6 बिस्वा रास्ता की भूमि के मालिक काबिज व हकदार हो गये तथा रास्ता निरन्तर सन् 1978 से चला आ रहा है व आज भी चल रहा है, राजस्व रिकार्ड में इस तबादलो का इन्द्राज ना होनें से लाधुराम के देहान्त के बाद रकबा अप्रार्थी के नाम दर्ज हो गया।

सन् 1978 से अप्रार्थी की जानकारी से सहमती से मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 के पूर्वी तरफ रास्ता व किला नम्बर 25 के दक्षिणी तरफ एक एक बिस्वा में निरन्तर चला आ रहा है जो कि वास्तव में रास्ता की भूमि प्रार्थीयान के पिता जयचन्द की

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

होनें व उसके देहान्त के बाद प्रार्थीयान की खातेदारी है मगर राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज होनें से उसके मन में अब गलत लालच आया हुआ है तथा वह जानबुझकर रास्ता को बन्द करना चाहता है अतः रास्ता स्वीकृत करवाना आवश्यक हो गया है इस रास्ता की भूमि के बदले में अप्रार्थी के पिता के द्वारा भूमि पहले से ही प्राप्त की हुई है।

यदि रास्ता को बन्द कर दिया गया तो प्रार्थीयान की ढ़ाणी के लिये व् खेत में जानें के लिये रास्ता अवरूद्ध हो जावेगा इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है अतः फसल काश्त करनें व ढ़ाणी में आनें जानें के लिये बाधा पैदा होगी अतः रास्ता स्वीकृत करवाया जाना आवश्यक है इस प्रचलित रास्ता पर पहले से ही पुलिया बनी है जिसको अप्रार्थी द्वारा क्षतिग्रस्त करनें पर अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन उत्तर खण्ड में कार्यवाही करनें पर उनके द्वारा पुलिया को सही करवाया गया जिसके आदेश की नकल शामिल है। तथा मौका के फोटोग्राफ्स भी शामिल है। अतः रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि चक 2 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 के पूर्वी हिस्सा के दो दो बिस्वा रास्ता तथा किला नम्बर 25 के दक्षिणी हिस्सा में दो बिस्वा रास्ता को स्वीकृत करनें का आदेश पारित करते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई मुताबिक रिपोर्ट वादी के पिता जयचन्द व प्रतिवादी के पिता लाधुराम के मध्य दस्तावेज पंजीबद्ध तबादलानामा दिनांक 23.12.1978 द्वारा मुरब्बा नम्बर 41 में किला नम्बर 20 में 4 बिस्वा भूमि लाधुराम व किस्तूरीराम के पक्ष में छोड़ी गई एवम् मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16 का प्रत्येक 1 बिस्वा एवम् किला नम्बर 25 का 2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा जयचन्द पुत्र लाधुराम के पक्ष में छोड़ी गई थी परन्तु आज तक वर्तमान में अपनें अपनें हिस्से पर ही काबिज काश्त है वादी द्वारा वर्तमान में मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 20 में ढ़ाणी का निर्माण किया हुआ है व आवागमन हेतु सुविधाजनक रास्ता चाहा गया है, इस सम्बंध में अन्य कोई विकल्प नहीं है।

पूर्व में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं हुआ है। एवम् वर्तमान में इस स्थान पर कोई रास्ता चालु नहीं है। प्रार्थी का मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से जाना जाना है वादी एवम् प्रतिवादी भूमि अथवा मुआवजा के रूप में किसी आदान प्रदान से आपस में सहमत नही है।

अप्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि अप्रार्थी को इस बात की जानकारी नहीं कि अप्रार्थी के पिता द्वारा तबादला किया गया तथा ना ही ऐसे किसी तबादला का आज कोई अमलदरामद ही हुआ है इस प्रकार कथित रास्ता मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 के पूर्वी हिस्सा एक एक बिस्वा तथा किला नम्बर 25के दक्षिणी भाग एक बिस्वा में से कोई रास्ता नही चल रहा है ना ही किसी प्रकार के मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 20 के 4 बिस्वा का कब्जा ही दिया गया ना ही राजस्व रिकार्ड में तबादला का कभी अमलदरामद हुआ। अतः यह कहना सरासर गलत है कि कथित रास्ता सन् 1978 से चालू हो बल्कि प्रार्थीयान के रकबा के लिये मुरब्बा नम्बर 39 से रास्ता होकर मुरब्बा नम्बर 40, 41 में जाता है जिससे प्रार्थीयान आवागमन कर रहे है।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी संख्या 1 की ढ़ाणी मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 5 में स्थित है जिसमें अप्रार्थी मैन रोड़ से जाता है यह कहना सरासर गल्त है, कि मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में रास्ता हो बल्कि पहले उपरोक्त रकबा लाधुराम के नाम दर्ज था जबकि अप्रार्थी नें भी कभी कोई रास्ता नहीं दिया है ना ही अप्रार्थी की भूमि में कोई रास्ता चलाये जानें का प्रश्न पैदा होता है तथा ना ही बन्द करनें का सवाल पैदा होता है।

प्रार्थीयान के रकबा के लिये मुरब्बा नम्बर 39 में रास्ता बना हुआ है मगर जानबुझकर अप्रार्थी को तंग परेशान करनें के लिये प्रार्थना पत्र प्रसतुत किया गया है जो कि खारिज करनें योग्य है।

न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत दिनांक 11.06.2018 को ग्राम पंचायत मिर्जेवाला में आयोजित राजस्व लोक अदालत में प्रकरण में वर्णित भूमि के सम्बां में पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 2 की जमाबन्दी में खाता संख्या 24 में मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, प्रत्येक सालम नेतराम पुत्र लाधुराम के नाम से खातेदारी दर्ज है व मुरब्बा नबर 49 का किला नम्बर 25 रामप्रताप नेतराम पीसरान लाधुराम, विद्यादेवी पुत्री लाधुराम व धर्मवीर, रणवीर पिसरान सहीरामके नाम खातेदारी दर्ज है। मौका पर मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 8–1/4 फुट रास्ता चल रहा है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में वर्णित भूमि का भौतिक निरीक्षण किये जानें पर रास्ता वर्तमान में चल रहा होनें के कारण तथा प्रार्थीगण के पास रास्ते का अन्य कोई विकल्प नहीं होनें के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

– :: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 2 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 के पूर्वी हिस्सा के एक एक बिस्वा रास्ता तथा किला नम्बर 25 के दक्षिणी हिस्सा में एक बिस्वा मौके पर चल रहे रास्ता को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है। गैर मुमकिन रास्ता सार्वजजिक उपयोग हेतु रहेगा। रास्ते की भूमि के बदले में मुआवजा स्वरूप मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 20 में से कुल 6 बिस्वा कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता की भूमि का तथा रास्ते की भूमि के बदले में दिये जानें वाली भूमि का अप्रार्थीगण के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 11.06.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मिर्जेवाला में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर